न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।
उपस्थितः अभिनितम उपाध्याय, एच०जे०एस० आई०डी०नं०यू०पी० 6192

CNR No.-UPFR010024252026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–652/2026

सुमित कठेरिया पुत्र भजनलाल उम्र 23 वर्ष निवासी पट्टी मदारी थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–87/2026
धारा–352,109(1) बी०एन०एस०
व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
थाना–कम्पिल।
जनपद–फर्रुखाबाद।

दिनांकः 18.06.2026

1. उक्त प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त/आवेदक सुमित कठेरिया की ओर से जमानत के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियुक्त/आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र के साथ पैरोकार श्रीदेवी पत्नी भजनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व उक्त प्रकरण में अभियुक्त की तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र इस सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय अथवा भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 607/2026 बल न दिये जाने के कारण दिनांक 29.05.2026 को निरस्त किया गया। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा इस तथ्य का विरोध नहीं किया गया।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी सहित समस्त पुलिस प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा जाहर सिंह के द्वारा थाना कम्पिल पर दिनांक 17.05.2026 को समय 21:03 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 87/2026, अंतर्गत धारा 352, 109(1) बी०एन०एस० में अभियुक्त/आवेदक सुमित कठेरिया के विरुद्ध पंजीकृत करायी गयी जिसकी विवेचना अभी प्रचलित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक संक्षेप में यह हैं कि वादी की बहन रवीसा की शादी सुमित कठेरिया के साथ हुई थी। वादी की बहन के साथ बहनोई ने विवाद किया था जिसकी सूचना

बहन द्वारा वादी को दी गयी जिसको सुलझाने हेतु वादी अपने मामा रामशंकर व मामा के दामाद आलोक कठेरिया के साथ बहनोई सुमित के घर जाकर समझाने का प्रयास किया और बहनोई से विवाद का कारण पूछा तो सुमित ने नाराज होकर गाली गलौज की जिस पर आलोक ने मना किया तो उसने आलोक के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे आलोक के शरीर पर फायर के निशान आए। यह घटना शाम करीब 5 बजे की है।

5. अभियुक्त/आवेदक के द्वारा जमानत याचिका में लिया गया आधार संक्षेप में यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट राय मशवरा उपरान्त 04 घंटा विलंब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण वादी ने नहीं दिया है। अभियुक्त/आवेदक का किसी प्रकार का कोई विवाद स्वयं की पत्नी से नहीं है बल्कि पत्नी व बच्ची आवेदक के साथ ही घर पर खुशी से रह रहे हैं। अभियुक्त/आवेदक ने वादी के माध्यम से 50 हजार रुपये आलोक कुमार को दिए थे। जब आवेदक ने अपने पैसे वापस दिलाए जाने हेतु कहा तो कथित दिनांक को उक्त लोग शराब पीकर आवेदक के घर आए और गाली गलौज करके चले गए। अभियुक्त/आवेदक के 50 हजार रुपए वापस न करने पड़े इसलिए षडयंत्र रचकर फर्जी चोटे दर्शाकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। चुटैल के चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में भी चोटें फायर आर्म्स से आना संदेहजनक पाई गई। पुलिस अभियुक्त/आवेदक को घर से पूछताछ के लिए बुला ले गयी और एक अधिया 315 बोर व एक कारतूस की झूठी बरामदगी दर्शाकर उसका चालान कर दिया गया जबकि गिरफ्तारी का कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है।

6. केस डायरी पर मजरूब/चुटैल आलोक कुमार की चिकित्सीय परीक्षण आख्या संलग्न है जिसके अनुसार चुटैल के शरीर पर निम्न चोट पाई गईः–

Multiple punctate abrasion 29cmx29cm over the front of chest with neck and face with blackening at places and tattoing and stippling present. Margins of the abrasion are irregular and colour is red to red black.

चिकित्सक द्वारा चोट ताजी होना एवं फायर आर्म्स से चोट आना प्रतीत होने की राय व्यक्त की गयी। केस डायरी पर पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट भी मौजूद है जिसमें भी चिकित्सक द्वारा चोट को फायर आर्म्स द्वारा पहुंचाया जाना बताया गया है।

7. फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 27.05.2026 को विवेचक मय हमराहीगण के थाना से रपट नं० 5 समय 6:21 बजे गश्त करते हुए ग्राम निजामुद्दीनपुर को जाने वाले रोड पर जा रहे थे तभी मुखबिर खास द्वारा आकर अभियुक्त/आवेदक सुमित कठेरिया का ईदगाह के पीछे बागो में छिपे होने की सूचना दी गयी। उक्त सूचना पर विश्वास करके विवेचक मय हमराहीगण के मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे जहां आवश्यक बल का प्रयोग कर अभियुक्त/आवेदक को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी जामा तलाशी में दाहिनी हाथ से एक अधिया 315 बोर व पहने लोअर की पीछे की जेब से एक कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ जिसका लाइसेंस दिखाने में अभियुक्त कासिर रहा। अभियुक्त से की गयी पूछताछ एवं बरामदशुदा माल का हुलिया का विवरण फर्द में अंकित किया गया है। बरामदगी के आधार पर धारा

3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी एवं अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराया गया तथा बरामदशुदा माल को सील सर्व मोहर किया गया। फर्द बोल–बोलकर का० 83 अनीश कुमार से मोबाइल पर लिखायी गयी।

8. अभियोजन अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त/आवेदक का इस मुकदमे के अलावा 03 अन्य मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया जिनमें से थाना कम्पिल में अपराध संख्या–233/2021 धारा 323, 352, 504 भा०दं०सं०, अपराध संख्या–105/2026 धारा 115(2), 118(1), 352 बी० एन० एस० एवं थाना मऊदरवाजा में अपराध संख्या–189/2024 धारा 304, 317(2) भा०दं०सं० अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध दर्ज होना तथा उनमें आरोपपत्र दाखिल हो जाना बताया गया।

9. मामले में अभी विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त वादी का सगा बहनोई है। अभियुक्त की पहचान का कोई भी विवाद नहीं है। वादी तथा चुटैल दोनों घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। अभियुक्त पर वादी के मामा के दामाद (जो अभियुक्त को समझाने–बुझाने गये थे) पर अवैध तमंचा से फायर करने का गंभीर आरोप है। चिकित्सीय आख्या के अनुसार चुटैल आलोक कुमार पर तमंचा से फायर किया गया। हालांकि गोली सीधे चुटैल को नहीं लगी परन्तु चुटैल आलोक कुमार के छाती, गर्दन एवं चेहरे पर ब्लैक्निंग (Blackening), टैटूइंग (Tattoing) और स्टपिलिंग (Stippling) उपस्थित पायी गयी जो प्रथम दृष्टया अभियोजन कथानक का समर्थन करती है।

10. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में अपराध की गंभीरता को देखते हुए मेरे मत में आरोपों के गुण–दोष पर कोई भी राय व्यक्त किए बिना अभियुक्त/आवेदक की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

11. अभियुक्त/आवेदक सुमित कठेरिया की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किया जाता है।

12. जमानत आदेश की एक–एक प्रति सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फर्रुखाबाद व जेल अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़ को प्रेषित की जाए तथा एक प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क प्राप्त करायी जाए।

दिनांक–18.06.2026

(**अभिनितम उपाध्याय**)
आई०डी०नं०यू०पी० 6192
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
फर्रुखाबाद।